



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112025-267591
CG-DL-E-12112025-267591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 19]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.नि.आ. 19(अ).— केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 4 में, तारीख 10 नवंबर, 2025, में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि.आ. 18 (अ) तारीख 10 नवंबर, 2025, जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट थी, के साथ पठित छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप धारा (3) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कतिपय छावनी बोर्ड, जिसमें उस सारणी के स्तम्भ (3) में उपदर्शित सदस्य भी सम्मिलित हैं, के गठन को सारणी स्तम्भ (4) में उपदर्शित तारीख से अधिसूचित करती है :-

सारणी

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम	उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन छावनी बोर्ड का गठन करने वाले सदस्यों का नाम / पदनाम	फेरफार की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पचमढी	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री संजय लेडवानी	30.11.2025
2.	बदामीबाग	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री इम्तियाज़ अहमद राथर	03.12.2025
3.	जम्मू	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री भारत भूषण	03.12.2025
4.	रामगढ़	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) रिक्त	03.12.2025
5.	मेरठ	(क) स्टेशन के कमान अफसर (ख) मुख्य अधिशासी अधिकारी (ग) श्री सतीश चन्द्र शर्मा	13.01.2026

[फा. सं. 14(8)/2019-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

S.R.O. 19(E)—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 18(E), dated the 10th November, 2025 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 10th November, 2025 containing the declaration varying certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the constitution of the Cantonment Boards specified in column (2) of the Table given below consisting of members indicated in column (3) thereof, with effect from the date mentioned in column (4) thereof:

TABLE

Serial Number	Name of Cantonment Board	Name/Designation of the members constituting the Cantonment Board under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 13 of the said Act.	Vary with effect from
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pachmarhi	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Sanjay Ledwani	30.11.2025
2.	Badamibagh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Imtiyaz Ahmad Rather	03.12.2025
3.	Jammu	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Bharat Bhushan	03.12.2025
4.	Ramgarh	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Vacant	03.12.2025
5	Meerut	(a) the Officer Commanding the Station (b) the Chief Executive Officer (c) Shri Satish Chandra Sharma	13.01.2026

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&C)/Pt.]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.